न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दूदू(जयपुर)

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह शेखावत

अपील संख्या : 30/2021

1. साहिल पुत्र स्व. जगन्नाथ
2. श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्व. जगन्नाथ
3. भावना
4. पुष्पा — पुत्रीयान स्व. जगन्नाथ
5. विजया
6. सीमा

समस्त जाति जाट, निवासीगण–प्लाट नंबर बी–3, पथ संख्या 4, जमनानगर, सोडाला, जयपुर

.....अपीलांटस्

बनाम

शिवजीराम पुत्र स्व. नाथूलाल, जाति–जाट, निवासी–ग्राम जेवल्या का बास, ग्राम पंचायत मौखमपुरा महसील मौजमाबाद जिला जयपुर ।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 26–08–2020 प्रकरण संख्या 01/2020 बउनवानी शिवजीराम बनाम जगन्नाथ न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद जिला जयपुर अंर्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री हरीश शर्मा, अखिलेश कुमार शर्मा विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस
2. श्री राजकुमार गठाला, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

आदेश

दिनांकः 19/04/2022

अपीलांटस् की ओर से तहसीलदार मौजमाबाद के आदेश दिनांक 26–08–2020 के विरूद्व अपील एंव स्थगन प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद के समक्ष दिनांक 28–07–2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या 223 में आने जाने का रास्ता खसरा संख्या 181 जो कि जेवल्या का बास से बिचून जाने वाली ग्रेवल सडक से खसरा नंबर 174 में से होता हुआ खसरा संख्या 173 जो कि कुआ है से घुमता हुआ उसके भाई रामलाल के खेत में से होता हुआ रेस्पोडेन्ट के मकानो तक आता है । वर्णित रास्ता मौके पर 20 फुट है जो रेस्पोडेन्ट के खेतो तक पहुँचने का एक मात्र रास्ता है जिसके दोनो ओर मिटटी कि डोल व बडे–बडे वृक्ष लगे है । उक्त रास्ता रेस्पोडेन्ट के खेत में टैक्टर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
दूदू

टॉली व पशुधन लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता है । रेस्पोडेन्ट ने विधुत कनेक्शन के लिए आवेदन किया था जिसका टांसफार्मर लगाया जाना था किन्तु जगन्नाथ पुत्र बीजा के वारिसान साहिल व धापू उर्फ गायत्री द्वारा दिनांक 26–07–2020 को ग्रेवल सडक खसरा संख्या 181 के मुख पर जहॉ रास्ता प्रारम्भ होता है पिल्लर लगाकर लोहे का गेट लगाना बताया तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पुराने रास्ते का जोतना बताकर अपने कृषि उपकरण टेक्टर टोली, मोटरसाईकिल व अन्य सामान अन्दर रह जाना बताकर रास्ता खुलवाये जाने कि प्रार्थना कि जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26–08–2020 को अपीलाधीन आदेश पारित किया । अपीलांटस द्वारा अपील में वर्णित किया कि अपीलांटस ग्रामीण परिवेश के सीधे एंव सरल स्वभाव के व्यक्ति है जिनका अपनी खातेदारी कि भूमि खसरा संख्या 173 व 174 पर कदीमी कब्जा काश्त है जिसमें राजस्व रिकोर्ड में व मौके पर कोई आम रास्ता नही रहा है रेस्पोडेन्ट प्रभावशाली व्यक्ति है जिसने बदनीयती पूर्वक अपीलंटस कि भूमि को हडपने कि गरज से धनबल व भुजबल के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित करवा लिया है जो विधि विरूद्व, अवैधानिक, अगेनस्ट टू लॉ, कान्टेरी टू लॉ है, जो स्पीकीग आर्डर कि तारीफ मे नही आता तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस् को सुनवाई व समुचित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अवसर दिये बिना ही बिना स्व–विवके का उपयोग किये आदेश दिया जाना बताया तथा अपील में कानूनन निर्धारित समयावधी 45 दिन से पहले ही निर्णय पारित किया जाना, फर्जी तामील करवा, फर्जी गवाह बना, तमील करवाया जाना रजिस्टर्ड नोटिस से तामील करवा बिना 30 दिन प्रीज्मपशन लिये तथा प्रार्थी को बिना सूचना व प्रोपर तामील के एक पक्षीय निर्णय पारित किया जाना, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना नक्शा टेस, जमाबन्दी का अवलोकन किये बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाना भ्झी अपील में वर्णित किया इसके अतिरिक्त अपीलान्टस द्वारा रास्ता अपीलाटस कि खातेदरी में होना व रेस्पोडेन्ट को धारा 251–क के तहत ही रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी वर्णित करते हुए, रेस्पोडेन्ट का रास्ता खसरा संख्या 155, 172 व 170 में से होना बताय तथा अपील में रेस्पोडेन्ट के भाई खेमचन्द के वारिसान व अपीलांटस मे इसी रास्ते बाबत सिविल वाद निर्णित होने, फुलेरा थाने में भी प्रथम सूचना दर्ज होने, उपखण्ड अधिकारी व संभागीय आयुक्त के समक्ष विवाद लम्बित होने के तथ्य वर्णित कर, अधिनस्थ न्यायालय के आदेश कि जानकारी दिनांक 02.09.2020 को खेत संभालने पर जाने से होने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2020 निरस्त कर अधिनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने कि प्रार्थना अपील में कर सलंग्न स्थान प्रार्थना पत्र मे अधिनस्थ न्यायालय कि कियान्विती स्थिगित किये जाने कि प्रार्थना की ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

रेस्पोडेन्ट द्वारा कैविएट प्रस्तुत होने से नोटिस जारी किये जिसमे रेस्पोडेन्ट द्वारा बाद उपस्थिति जवाब अन्तर्गत प्रार्थना पत्र मय मौका कोर्टफीसवक दिनांक [illegible] 2020, जवाब अपील व लिखित बहस मय दस्तावेज पेश किये तथा जवाब अपील मे वर्णित किया कि अपीलांट कि समस्त तामील होने के पश्चात तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तामील के सभी मौके प्रदान किये जाने के बावजूद अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबूझकर उपस्थित नही होने से एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था । प्रकरण वर्षो पुराने कटौनी रास्ते को खुलवाये जाने का होने से प्रकरण धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न होकर धारा 251 काश्तकारी अधिनियम का था जिस बाबत अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करने का क्षेत्राधिकार था । अपीलांटस् द्वारा वर्णित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रकरण सीमा ज्ञान का था तथा अपीलान्टस द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने बाबत रेस्पोडेन्ट कोई आपत्ति नही होना बताया, तथा पुलिस थाने के प्रकरण कि एव सोमचन्द के वारिसान व अपीलांटस के मध्य विवाद कि कोई जानकारी होने से भी इनकार किया है । रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस के समर्थन मे 2010(1) RRT 83, 2008 WLC(Raj.) UC 663, DNJ 1996 580, 2008 WLC 663, 2006(1) RRT 93, 2019 (1) RRT 32, 2003 RRD 536 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये ।

अपीलांटस् द्वारा भी अपनी अपील के समर्थन मे लिखित बहस प्रस्तुत की । अधीनस्थ न्यायालय कि पत्रावली तलब कि जाकर सलंग्न अपील कि गई । अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट कि लिखित बहस का विवेचन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन कर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अवलोकन किया ।

हस्तगत अपील मे अपीलांटस् द्वारा प्रमुख रूप से तामील न होने, अधिनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार न होने तथा अपीलांटस् व रेस्पोडेन्ट मे पूर्व के विवादो के सदर्भ मे आक्षेप प्रस्तुत कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने का अनुतोष अपील मे चाहा है । प्रथमतः अधिनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार बाबत विनिश्चय किया जाना आवश्यक है ।

हस्तगत अपील मे अधिनस्थ न्यायालय कि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट शिवजीराम द्वारा प्रार्थना पत्र स्वंय कि खातेदारी खसरा संख्या 223 मे जाने के रास्ते को बाधित किये जाने व बाधा हटाये जाने के सदर्भ मे प्रस्तुत किया है, जो खसरा संख्या 174 मे से होकर गुजरता है जिसे खसरा संख्या 174 के खातेदार जगन्नाथ के वारिसान अपीलांटस् द्वारा बाधित किया जाना बताया है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को धारा 251 मे दर्ज किया जाकर पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट मगवाई जाकर पटवारी हल्का कि मौका रिपोर्ट व आंशिक नजरी नक्शे मे अंकित रास्ता खसरा संख्या 181 पर लोहे का गेट लगाकर खसरा संख्या 174 मे रास्ता बन्द होने कि रिपोर्ट के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस् को नोटिस जारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर

किये गये थे । अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं भी पटवार हल्का को मय रिकोर्ड मौके पर तलब कर मौके का अवलोकन कर रास्ता काफी पुराना होना तथा खसरा संख्या 174 व 170 व 172 में से होकर गुजरना व रेस्पोडेन्ट के खसरा संख्या 223 तक पहुचना अपने आदेश में अंकित किया है तथा अधिनस्थ न्यायालय कि पत्रावली पर चारो गवाहो द्वारा भी अपीलांटस के पूर्वज कि भूमि खसरा संख्या 174 में से होकर रेस्पेडेन्ट का रास्ता बताया इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय कि पत्रावली पर प्रस्तुत फोटोग्राफस व अपील के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफस से रास्ता वर्षो पुराना प्रतीत होता है हालाकि अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कि पत्रावली पर फोटोग्राफस विधी विहित रिति से प्रस्तुत करना अंकित किया है किन्तु अपीलांटस द्वारा फोटोग्राफ विवादित रास्ते कि होने बाबत इनकार नही किया है, ना ही अपील में स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत फोटो का अपीलाटस द्वारा खण्डन किया है जिससे साबित होता है कि रेस्स्पोडेन्ट का मौजूदा रास्ता खसरा संख्या 174, 172 व 170 मे से होकर जाता है । अपीलांटस द्वारा रास्ता खसरा संख्या 155, 172 व 170 में से होकर जाना बताया है लेकिन इस संदर्भ में न तो अधिनस्थ न्यायालय कि पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज है, ना ही अपीलाटसं द्वारा अपील में ऐसा कोई दस्तावेज या फोटोग्राफ पेश किया जिससे रास्ता अपीलांटस के खसरा संख्या 174 में से न होकर 155 में से जाना साबित हो । इन तथ्यो से प्रकरण कदीमी रास्ते का होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज कर निर्णित किया जाने में क्षेत्राधिकार संबधि कोई त्रृटि नही कि है । यदि प्रकरण नया रास्ता लेने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष होता तो प्रकरण धारा 251–क में दर्ज किया जाना आवश्यक था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र कदीमी व वर्षो पुराने रास्ते मे बाधा उत्पन्न करने व बाधा हटाये जाने बाबत था ना तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नये रास्ते के सदर्भ में आदेश पारित किया है, ना ही किसी रास्ते कि घोषणा कि है तथा तहसीलदार को प्रचलित कदीमी रास्तो के सबंध में धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अधिकार प्रदान किये है तथा कदीमी रास्तो बाबत बाधा हटाये जाने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को होने से क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर अपीलांटस् कि अपील निरस्त कि जाती है ।

अपील कि लिखित बहस में अपीलांटस द्वारा पटवारी मौका रिपोर्ट के सबंध में अपीलांटस को सूचित नही किये जाने बाबत अंकित कर नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो बाबत आक्षेप लिया है । धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत किसी भूमिधारी के रास्ते को बाधित किया जाने के प्रार्थना पत्र तहसीलदार द्वारा सरसरी जॉच कि जाकर बाधा हटाये जाने के प्रावधान है जिसके तहत रेस्पोडेन्ट द्वारा रास्ते में बाधा हटाये जाने के प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का मौखमपुरा को जॉच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की है तथा पटवारी हल्का मौखमपुरा कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

जॉच रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे में खसरा संख्या 181 के मुख पर मौके पर लोहे का गेट लगा होने तथ ,ासरा संख्या 174 में गहरे नीले रंग कि धारियो से मौके पर रास्ता बना हुआ होने तथा हाल मे जोतने व रास्ता बंद होने तथा खसरा सख्या 170 व 172 एंव 181 में हलके नीले रंग कि धारियो पर मौके पर रास्ता बना हुआ व चालू होना वर्णित किया है जिसमें रास्ता केवल खसरा संख्या 174 मे ही बंद होना अंकित है तथा खसरा संख्या 172 व 170 से 223 तक पहुॅचने का रास्ता चालू होना अंकित है । अधिनस्थ न्यायालय कि पत्रावली पर पटवारी हल्का मौखमपुरा कि मौका पर्चा फर्द रिपोर्ट में मौके पर उपस्थित लोगो के हस्ताक्षर है जिसमें मौके पर उपस्थित मौत–बिरान ने रास्ता 30–40 वर्षो पुराना होना व खसरा संख्या 174 के रास्ते को मौके पर जोत दिया जाना व खसरा संख्या 172 व 170 में मौके पर रास्ता चालू होना वर्णित किया है जिस कारण पटवारी हल्का रिपोर्ट के पश्चात सरसरी जॉच में मौके पर रास्ता बाधित होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को नोटिस जारी किये जिस कारण इस बिन्दू पर किसी प्रकार के न्याय सिद्वान्तो कि अवहेलना अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में प्रतीत नही होती । अपीलाटस द्वारा पटवारी मौका रिपोर्ट विधि विरूद्व व मनमानी एंव वास्तविक स्थिती के विपरित होना अंकित किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.08.2020 के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा भी पटवारी हल्का को मौके पर रिकोर्ड सहित बुला मौका निरिक्षण कर मौके कि वस्तुस्थिती को अपने निर्णय में वर्णित किया है जिसमें भी खसरा संख्या 174 को रास्ते को जोता जाना व खसरा संख्या 170 व 172 में रास्ता चालू होना वर्णित किया है । अपील कि पत्रावली में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एंव अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट दूदू, जिला जयपुर उनवान दीनदयाल बनाम साहिल कि मौका रिपोर्ट, नक्शा मौका व फोटोग्राफस कि प्रति प्रस्तुत कि गई है जिसमें भी खसरा संख्या 174 में रास्ता दर्शित है । इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफस प्रस्तुत कि गई है जिसका भी खण्डन अपीलान्ट द्वारा नही किया गया है । अधिनस्थ न्यायालय कि पत्रावली में बोदूराम, श्रवणलाल, सायरदेवी व लक्ष्मण के बयान अंकित है जिसमें उनके द्वारा भी जगन्नाथ कि भूमि खसरा संख्या 174 से रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा संख्या 223 में से होकर जाना वर्णित किया है जो रेस्पोडेन्ट के खेत 223 तक 174, 172 व 170 से होकर गुजरना अंकित किया है जिससे स्पष्ट होता है कि मौके पर रास्ता विधमान है जो खसरा संख्या 174 में से होकर खसरा संख्या 170 व 172 से होता हुआ रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा संख्या 223 तक पहुॅचता है । जिससे अपीलांटस के अपील के इस आधार को भी बल नही मिलता कि पटवारी मौका रिपोर्ट गलत या वास्तविक स्थिती के विपरित प्रस्तुत हुई हो ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

अपीलाटस द्वारा अपील एंव लिखत बहस में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोराना काल चलने के कारण दिनांक 05.08.2020 कि तमील 06.08.2020 को करवाया जाना संभव नही होना फर्जी गवाह होना, रजिस्टर्ड पोस्ट से तामील प्राप्त नही होना व अखबार कि तामील ऐसे अखबार में करवाया जाना जिसे कोई पढता न हो तथा रजिस्टर्ड पोस्ट से तामील कि प्रीज्मपशन अवधि कि पालना किये बिना ही आदेश पारित किये जाना, तामील प्रकिया के नियमो का पालन नही किया जाकर आदेश रेस्पोडेन्ट से सांठ–गांठ कर बदनियती पूर्वक करवाये जाने से अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया है जबकि 2020 में लॉक डाउन 25 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक रहा था जिस कारण कोरोना काल में तामील करवाये जाने के तथ्य गलत अंकित है । अधीनस्थ न्यायालय कि पत्रावली कि आदेशिका के अवलोकल से दिनांक 29.07.2020 कि आदेशिका से अपीलांटस को नोटिस जारी किये जाकर तलब किया गया नोटिस कि पुश्त पर तामील कुनिन्दा कि रिपोर्ट के अनुसार अपीलांटस में से पुष्पा व गायात्री देवी का मौका पर मिलना अंकित है जिनके द्वारा नोटिस पढकर लेने से इनकार करना व अन्य अपीलान्टस के नोटिस लेने बाबत भी इन्कार करने पर दो गवाहो के समक्ष चस्पानगी से तामील की गई है तथा दोनो गवाहो के नाम, पिता का नाम सम्पूर्ण पता व हस्ताक्षर व मोबाईल नम्बर दर्ज है था अधिनस्थ न्यायालय कि पत्रावली पर चस्पानगी के दोनो गवाहो के हस्ताक्षरशुदा आधार कार्य भी मौजूद है, जिस कारण गवाह फर्जी होना प्रतीत नही होता है । दिनांक 07.08.2020 कि आदेशिका में गैरसायलसन/अपीलांटस कि तामील मानी जाने के बावजूद एकपक्षीय कार्यवाही नही की गई तथा पुनः तामील जरिये रजिस्टर्ड ए.डी व राष्टीय अखबार में प्रकाशित करवाये जाने कि आदेशिका जारी कि है तथा दिनांक 18.08.2020 कि आदेशिका में अपीलांटस कि एकपक्षीय कार्यवाही कि है । अधीनस्थ न्यायालय कि पत्रावली पर ए.डी रसीद व अपीलांटस कि ए.डी कि डिलिवरी रिपोर्ट उपलब्ध है जिसमें प्रत्येक अपीलांट द्वारा ए.डी प्राप्त कर लिया जाना अंकित है तथा राष्टीय समाचार पत्र कि प्रति भी अधीनस्थ न्यायालय कि पत्रावली पर मौजूद है । अपीलार्थी द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी पर 30 दिवस के प्रीज्मपशन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही किये जाने के आक्षेप अंकित किये है जबकि रजिस्टर्ड ए.डी द्वारा तामील रिपोर्ट पत्रावली पर होने के पश्चात 30 दिवस का प्रीज्मपशन किया जाना महत्वहीन है । इस संदर्भ में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में भी अंकित है कि दिनांक 07.08.2020 को अपीलाटंस कि तामील होने के बावजूद अपीलांटस के हित प्रभावित होने को द्रष्टिगत रखते हुए रजिस्टर्ड ए.डी व राष्टीयकृत अखबार में तामील प्रकाशित करवाये जाने के आदेश प्रदान किये है । जिससे स्पष्ट होता कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस कि तामील हेतू सभी प्रयास किये है किन्तु अपीलांटस में गायत्री देवी व पुष्पा स्वयं को असालत तामील प्राप्त होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

आये तथा पुनः रजिस्टड ए.डी से तामील होने के बावजूद भी पुष्पा व गायत्री देवी व अन्य अपीलांटस अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबूझकर कर उपस्थित नही आये जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस कि तलबी करवाये जाने हेतु समस्त प्रयास किये है जबकि अपीलांटस तामील से बचने से गुरेज करते रहे व जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आये जिस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के विरूद्व दिनांक 18.08.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । जिस एक पक्षीय आदेश के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तामील कि समस्त रिति प्रयोग करने के बावजूद व तामील होने के साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय कि पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय कि रेस्पोडेन्ट से सांठ–गांठ बताई जाकर अपीलाटस कि भूमि हडपन कि एकपक्षीय कार्यवाही बताने के अपीलान्ट के अपील के आधार न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करने व जानबूझकर तामील से गुरज करने से न्यायोचित प्रतीत नही होने इस बिन्दू पर भी अपीलाटसं कि अपील निरस्त फरमायी जाती है ।

अपीलांटस द्वारा अपील में फर्जी तामील करवा कानूनन निर्धारित अवधि 45 दिवस से पूर्व निर्णय पारित किये जाने से अपीलाधीन निर्णय खारिज किया जाना व 45 दिवस तक ग्राम पंचायत को प्रकरण के निपटारे के उपरान्त ही तहसीलदार को प्रकरण सुनवाई को क्षेत्राधिकर वर्णित किया है तथा इसके समर्थन में 4 सितम्बर 1982 का को नोटिफिकेशन भी प्रस्तुत किया है जिसके सदर्भ में रेस्पोडेन्ट द्वारा 45 दिवस में भी प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार होने बाबत प्रस्तुत नजीर 2006(1) RRT 93 अवलोकन योग्य है जिसमें राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार व ग्राम पंचायत को समवर्ती शक्तियां प्राप्त है, प्रथम 45 दिवस में तहसीलदार को विवाद के निर्णय हेतु शक्तियां प्राप्त है तथा विधान में तहसीलदार को दी गई शक्तियो का डेलिगेशन नही किया जा सकता जिस कारण प्रथम 45 दिवस में भी तहसीलदार को प्रकरण सुनवाई का अधिकार प्राप्त है ।

यह कि अपीलाटस द्वारा लिखित बहस में प्रत्यर्थी शिवजीराम के अतिरिक्त अन्य पडौसी काश्तकारो को पक्षकार बना अपने खसरा संख्या 88 , 174 व 173 कि पत्थरगढी हेतु आवेदन करना व पत्थरगढी के आदेश के पश्चात पटवारी को खेत में फसल कटने के बाद नाप चौक करने हेतु कहना अंकित कर बाद में बदनियती होने से प्रत्यर्थी के भतीजे द्वारा दीनदयाल द्वारा संभागीय आयुक्त के पत्थरगढी के आदेश अपील करना वर्णित किया है । जबकि हस्तगत अपील ना तो पत्थरगढी के विवाद बाबत है, ना ही पक्षकारो के खेत कि माप की हस्तगत अपील में विवाद है अधिनस्थ न्यायालय का आदेश भी धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अभिधारी काश्तकार के रास्ते के उपभोग व उसमें बाधा उत्पन्न करना व सरसरी जॉच कर बाधा हटाये जाने के सबंध में है जिसमें अधिनस्थ न्यायालय कि पत्रावली के अवलोकन से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

खसरा संख्या 174 में प्रचलित रास्ता होना व खसरा संख्या 174 में से रास्ते बाधा हेतु गेट लगाया जाना व रास्ता जोतना दर्शित है । जिस कारण पक्षकारो के पत्थरगढी के विवाद महत्वहीन है । इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब अपील व लिखित बहस में पत्थरगढी करवाये जाने पर कोई विवाद नही कर पत्थरगढी बाबत सहमति प्रदान की है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांटस व अन्य व्यक्तियो के मध्य विवाद कि जानकारी हेतु इनकार किया है जिसके उतर में अपीलांटस द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे रेस्पोडेट को पत्थरगढी के अलावा अपीलांटस व अन्य व्यक्तियो के मध्य विवाद कि जानकारी हो । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत सिविल न्यायालय उनवानी वाद दिनदयाल बनाम साहिल में भी शिवजीराम का पक्षकार होना दर्शित नही होता । वैसे भी अपील में केवल मात्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में पारित कि गई त्रुटि का विनिश्चय किया जाना है जिस कारण भी अपील में पक्षकारो के अन्य विवाद महत्वहीन तथा अन्य विवाद लम्बित होने मात्र के आधार पर किसी भूमिधरी का उपयोग उपभोग किया जाने वाला रास्ता बाधित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है ।

अपीलांटस द्वारा अपील में रेस्पोडेन्ट शिवजीराम द्वारा अपर मुख्य महानगर मजिस्टेट, सांभर के समक्ष सुखाचार के आधार पर घोषणा व स्थाई निषेघाज्ञा का वाद वर्णित किया है जबकि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कि उपधारा 2 में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के बावजूद भी किसी अभिधारी सिविल न्यायालय में वाद करने से विवर्जित नही किया जिससे स्पष्ट है कि अधिनियम में तहसीलदार कि कार्यवाही एंव सुखाचार का सिविल वाद अभिधारी के लिए दो अलग–अलग अनुतोष है तथा एक अनुतोष प्राप्त किये जाने के बावजूद अभिधारी कानूनन अन्य अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है ।

हस्तगत अपील में रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट द्वारा तथ्य छुपा अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश कि कियान्विती स्थगित फरमाये जाने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय के समक्ष क्लीन हेण्ड से नही आना अंकित किया है । इस संदर्भ अधिनस्थ न्यायालय कि पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26–08–2020 कि कियान्विती दिनांक 31.08.2020 को पूर्ण कि जाकर रास्ते कि बाधा हेतु लगे गेट को हटवाया गया जिस संदर्भ में अपीलांट साहिल को व उसके बटाईदारो को भी मौके पर पहुँचने बाबत सूचना दी गई तथा बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पुलिस चौकी इन्चार्ज भूपेन्द्र सिंह को गेट संभलाया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलांटस को अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26–08–2020 को व आदेश कि कियान्विती कि जानकारी दिनांक 31–08–2020 को हो चुकी थी स्वयं अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय कि सम्पूर्ण पत्रावली दिनांक 02.09.2020 को प्राप्त कि है तथा अपील के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

साथ संलग्न कि है दस्तावेज सूची में भी अपीलार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली दिनांक 01/2020 अंकित किया है जबकि अपीलांटस द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली कि प्रति में अपील के साथ कियान्विति दिनांक 31.08.2020 कि प्रति प्रस्तुत नही कि है तथा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 26–08–2020 कि कियान्विती स्थगित करवाने कि प्रार्थना कि है तथा अपील में जानकारी दिनांक 02.09. 2020 को अपने भूमि संभलाने जाने बाबत अंकित किया है । जिससे स्पष्ट है कि अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय कि जानकारी व निर्णय कि कियान्विती कि जानकारी दिनांक 02.09.2020 को प्राप्त होने के बावजूद तथ्य छुपा अपील प्रस्तुत की है तथा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर में अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2020 कि कियान्विती स्थगित करवानी चाही है जबकि कियान्विती दिनांक 31.08.2020 को हो जाने कि जानकारी अधीनस्थ न्यायालय कि पत्रावली कि प्रति दिनांक 02.09.2020 को प्राप्त होने से जानकारी के बावजूद अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय गलत शपथ पत्र तथ्य छुपा प्रस्तुत किया है जिस कारण भी अपीलार्थीगण तथ्य छुपा व गलत तथ्य न्यायालय के समक्ष रख अपील प्रस्तुत किये जाने से खारिज कि जाती है ।

अतः अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज की जाकर निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू (जयपुर)